न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर)राज0
पीठासीन अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद (आई.ए.एस.)

प्रकरण सख्या 211/2012
किस्म प्रकरण :- दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 29.12.2021

1. भगवानसिंह उम्र 55 साल पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2. पदमसिंह उम्र 52 साल पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार नदबई

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह (वादीगण की और से)
पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई (प्रति की और से)

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. यह है कि आराजी ख0न0 2820 रकवा 0.12, ख0न0 2821 रकवा 0.12 किता 2 कुल रकवा 0.24 हैक्ट. वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें वादीगण स. 1 व 2 वा हिस्सा बराबर खातेदार की तरह काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।
2. यह है कि विवादित आराजी वाद पत्र की आराजी सैटिलमेन्ट संवत 2060 से पूर्व के साबिक खसरा नम्बर 2348 रकवा 19 विस्वा से बने है। तथा सैटिलमेट संवत 2028 का साबिक ख0 न0 1876 मिन रकवा 1 बीघा 10 विस्वा से बना है।
3. यह है कि विवादित आराजी वाद पत्र वादीगण की पुश्तैनी कि आराजीयात है।
4. यह है कि विवादित आराजी वाद पत्र आराजी वादीगण स. 1 व 2 के पिता किशनसिंह पुत्र नंदलाल जाति जाट साकिन कबई संवत 2023 लगायत 2026 की जमाबंन्दी में संवत 2012 से ही खातेदार दर्ज थे। परन्तु सैटिलमेट संवत 2028 के कर्मचारियो व अधिकारियो ने बिना किसी आधार के वगैर कानूनी तरीके से गलत तरीके से वादी के पिता के नाम विवादित आराजी पर गैर खातेदारी के इन्द्राजात कर दिये। जो कि गलत तरीके से आज तक चले आ रहे है। उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी स. 1 व 2 के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा दिनांक 06.05.2012 को वादीगण को उक्त विवादित आराजी बाबत क्रेडिट की फाईल बनाने से इन्कार कर दिया तथा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने व गैर खातेदारी के इन्द्राजात होने बाबत जानकारी दी गई। इस बाबत वादीगण द्वारा बिना देरी के वाद पत्र पेश किया गया।
5. यह है कि हाल राजस्व रिकार्ड में गलत त[illegible] चले आ रहे वादीगण के नाम इन्द्राजात गैर खातेदारी से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः वादीगण विवादित आराजी पर [illegible] बाबत खातेदार काश्तकार काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा [illegible] में चले आ रहे [illegible] रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:11:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में विवादित आराजी बाबत गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

6. यह है कि दिनांक 06.05.12 को प्रतिवादीगण के अधिनस्थ कर्मचारियो हल्का पटवारी द्वारा दी गई धकमी बेदखल करने कि पर की गई कार्यवाही पर वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद ना हो सकेगी।

7. यह है कि वाद वादीगण घाषित किया जावे कि विवादित आराजी पर ख0न0 2820 रकवा 0.12 व ख0न0 2821 रकवा 0.12 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 वाके ग्राम कबई तहसील नदबई के वा हिस्सा बराबर खातेदार व काबिज है तथा वर्तमान में हो रहे राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गैर खातेदारी के चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पादबन्द किया जावें किवे विवादित आराजी से बेदखल ना करे।

8. दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण स. 1 व 2 की और से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित हुऐ। प्रतिवादी स. 1 व 2 की और से पैरोकार सरकार द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। अपने जबाब में निम्नाकित तथ्यो का उल्लेख किया गया जो इस प्रकार है।

1. यह है कि वाद पत्र की मंद स. 1 रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है।
2. यह है कि वाद पत्र की मंद स. 2 सलग्न दस्तावेज के अनुसार रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है।
3. यह है कि वाद पत्र की मंद स. 3 अस्वीकार है वादी स्वयं स्पष्ट करें।
4. यह है कि वाद पत्र की मंद स. 4 अस्वीकार है। क्योकि वाद पत्र अनुसार वादीगण के पिता संवत 2012 से खातेदार दर्ज रिकार्ड नही है ना हि इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया।
5. यह है कि वाद पत्र की मंद स. 5 अस्वीकार है। वादी ने अपने आराजी के आवंटन या नियमन होने का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे वादी को गैर खातेदारी इन्द्राजात कलमजन किया जाने का कोई अधिकार नही है।
6. यह है कि वाद पत्र की मंद स. 6 लगायत 11 के संबंध में यह है कि वादीगण वाद स्वयं सिद्ध करे तथा शेष बिन्दू न्यायालय से संबधित है।
7. विशेष कथन यह है कि वादीगण द्वारा दस्तावेज के अनुसार वादी के पिता 2015 में ख0न0 1876 रकवा 1 बीघा के हिस्सेदार दर्ज है। जबकि हाल ख0न0 2820 रकवा 0.12, 2821 रकवा 0.12 साबिक ख0न0 1876 से बना है। वादीगण के दस्तावेजात से मिलान नही होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। दावा वादीगण खारिजी के है।

9. वादीगण के वाद पत्र के तथ्यो एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के जबाब दावा के अभिवचनो के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई । जो इस प्रकार है।

1. आया विवादित आराजी वर्णित चरण स. 2 वाद पत्र वादीगण स. 1 व 2 वाके ग्राम कबई द्वितीय के वा हिस्सा बराबर खातेदार व काबिज है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम गैर खातेदार के चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

   –जिम्मेवादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने के अधिकारी है। – जिम्मेवादीगण

3. आया वाद बेबुनीयाद के आधार है तथा दस्तावेज मिलान नही होने से खातेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है लिहाजा वाद पत्र काबिल खारिज के है। – जिम्मेप्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:11:12 IST
Reason: SelfAttested

Junaid
उपखण्ड अधिकारी कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

Scanned with CamScanner

10. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2066–2029 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श– 2, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श– 3, नकल जमाबंन्दी संवत 2012 व 2015 वाकेग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श – 4, 5, नकल जमाबंन्दी संवत 2023 –2026 वाकेग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श –6, नकल जमाबंन्दी भू प्रबंध विभाग संवत 2028 ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श – 7, नोटिस जरिये अधिवक्ता विरूद्ध सरकार प्रदर्श 8 पेश किये गये।

11. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक ब्यान के रूप में शपथ पत्र श्री पदमसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी कबई एवं महेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई के पेश किये गये। इनसे जिरह प्रतिवादी पैरोकार द्वारा नही कि गई।

12. प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये उसके बाद पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत कि गई।

13. उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ता कि बहस अन्तिम सुनी गई पत्रावली का आवलोक किया गया निर्णय तनकीवार इस प्रकार है।

1. आया विवादित आराजी वर्णित चरण स. 2 वाद पत्र वादीगण स. 1 व 2 वाके ग्राम कबई द्वितीय के वा हिस्सा बराबर खातेदार व काबिज है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम गैर खातेदार के चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन करा पाने का अधिकारी है :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंन्दी संवत 2066–2069 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श–1 पेश कि गई जिसमें वादी भगवानसिंह व पदमसिंह बल्द किसनसिंह जाति जाट हिस्सा बराबर गैर खातेदारी के इन्द्राजात हो रहे है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श– 2, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श– 3 में सैटमैट संवत 2060 से पूर्व ख0न0 2348 रकवा 19 विस्वा से बने है। तथा सैटिसमैट संवत 2028 का साबिक खसरा नम्बर 2348 पूर्व ख0न0 1876 मिन रकवा 1 बीघा 10 विस्वा से बना है। नकल जमाबंन्दी संवत 2012 में वादीगण के पिता किशन सिंह कि खातेदारी का अंकन हो रहा है जो कि प्रदर्श 4 से साबित है नकल जमाबंन्दी संवत 2015 वाके ग्राम कबई द्वितीय वादीगण के पिता किशन सिंह बल्द नन्दलाल हिस्सेदार का अंकन हो रहा है जो प्रदर्श – 5 साबित है। एवं नकल जमाबंन्दी संवत 2023 –2026 वाके ग्राम कबई द्वितीय में वादीगण के पिता किशनसिंह कि खातेदारी का अंकन मालिक हो रहा है जो प्रदर्श –6 से साबित है। नकल जमाबंन्दी भू प्रबंध विभाग संवत 2028 ग्राम कबई द्वितीय वादीगण के पिता किशनसिंह बल्द नन्दलाल कौम जाट सा. गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है जो कि प्रदर्श – 7 साबित है। न्यायालय द्वारा मौके के सबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें मौके पर वादीगण की काश्त हो रही है तथा मौके पर काबिज है। इस प्रकार वादीगण के पिता किशनसिंह पुत्र नंन्दलाल जाति जाट निवासी कबई संवत 2012 से संवत 2023 से 2026 की जंमाबंन्दी खातेदार दर्ज थे। लेकिन सैटिलमैट विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दी गई जो काबिज कलमजन के है। तथा वादीगण द्वारा ब्यान के रूप में पदमसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी कबई एवं महेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई के पेश किये जो वाद पत्र का समर्थन करते है। इसके विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये। अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ तय कि जाती है।

Junaid
नायब कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने के अधिकारी है। तनकी स. 1 के निर्णरू अनुसार वादीगण द्वारा साबित किया जा चुका है वादीगण संवत 2012 से संवत 2026 तक खातेदार के रूप दर्ज रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:11:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इसलिए वादी प्रति के खिलाफ हुक्मइम्तनाई दवामी कि डिक्री से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अत उक्त तनकी भी वादी के हक मे तय की जाती है।

3. आया वाद बेबुनीयाद व आधार हीन है तथा दस्तावेज मिलान नही होने से खातेदारी प्राप्त करने का कोई हक व अधिकार नही है लिहाजा वाद पत्र काबिल खारिज के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्वोजात से साबित है कि साबिक रिकार्ड का मिलान हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी पेश नही किये गये लिहाजा उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

14. उपरोक्त तनकीवार निर्णय साबित है कि वादीगण के पिता संवत 2012 से संवत 2026 तक खातेदार के रूप में दर्ज रहे है परन्तु भूप्रबंध विभाग द्वारा संवत 2028 में वादीगण को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो कि गलत रूप से अंकन किया गया है जो कि काबिल दुरूस्त योग्य है।अत वादीगण का वाद पत्र काबिल डिक्री किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

अतः आदेश है कि विवादित आराजी ख0न0 2820 रकवा 0.12 एवं 2821 रकवा 0.12 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 हैक्ट. वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई पर वादीगण वा हि बा गैर खातेदारी के वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण बाहिबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आजा दिनाक 29.12.2021 को सर इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Junaid

मुहम्मद जुनैद
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:11:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner